

अंचल कार्यालय, मेहरमा (गोड्डा)

आदेश-फलक

अभिलेख संख्या- 21/16-17

वाद का प्रकार - सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त जमाबंदी को रद्द/संशोधन करने संबंधी।

सरकारी भूमि बंदोबस्त रैयत का नाम- काली उयेंव

पिता/पति-

मौजा - सोरीचकला



धाना नम्बर- 317

अंचल- मेहरमा

जमाबंदी नम्बर- 56/2

दाग नम्बर- 40

रकवा-02-00-00 (परगण जंगल)

तिथि	आदेश	मंतव्य
30-9-16	<p>मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 2074/रक दिनांक 13.05.2016 एवं भूमि सुधार उपसमार्हर्ता, गोड्डा के पत्रांक 264/भूकू गोड्डा दिनांक 18.05.2016 एवं अपर समार्हर्ता, गोड्डा के पत्रांक 1109/रक दिनांक 26.08.2016 के द्वारा सरकारी भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से सरकारी भूमि का कराए गए अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती को अभियान चला कर बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा- 4 (h) के तहत विधिवत सुनवाई करते हुए रद्द करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इस कार्यालय के ज्ञापांक 466/रक दिनांक 22.06.2016 एवं ज्ञापांक 688/रक दिनांक 07.09.2016 के द्वारा संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से सरकारी भूमि का अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती से संबंधित मौजावार/हल्कारवार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गई।</p> <p>उक्त के आलोक में संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन सह भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त रैयत <u>काली उयेंव</u></p> <p>पिता/पति.....मौजा- <u>सोरीचकला</u> को उनके दावे से संबंधित सभी प्रमाण/कागजात के साथ दिनांक <u>27.9.16</u> को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।</p> <p>लेखापित।</p>	
	<p> अंचल अधिकारी मेहरमा।</p>	<p> अंचल अधिकारी मेहरमा।</p>

22/3/2023

अभिलेख उपस्थापित। लदी को उनके दावे से संबंधित प्रमाण/कागजात के साथ दिनांक 13/04/2023 को अधोहस्तारी के समक्ष प्रपना पदों रखने हेतु सूचना दें।
लक्ष्मीपति

अंचल अधिकारी
मेहरमा।

अंचल अधिकारी
मेहरमा।

13/4/2023

अभिलेख उपस्थापित। ~~श्री~~ स्व. काली प्रसाद के पोता जिनसेर विमल कुंजर द्वारा उपस्थित दिया गया। साथ में मौजा - सौरिकला के प्लॉट नं० 40, जमा नं० 56 का अंचल अधिकारी मेहरमा द्वारा निर्गत Rent Roll का मूल प्रॉत एवं 2013-14 का रसीद की प्रॉत संलग्न कर ~~का~~ प्रस्तुत किया गया जो सही पाया गया। अतः बन्दोवली सही रहने के कारण स्वीकृत

दिखा जाता है। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लक्ष्मीपति

अंचल अधिकारी
मेहरमा।

अंचल अधिकारी
मेहरमा।